

पंचगव्य गुरुकुलम् (पंजि.)

इंडियन सेल थेरेपी इंस्टिच्यूट, मदुरै, तमिलनाडु की पंचगव्य शिक्षा ईकाई

'भारत सेवक समाज' से संबंध - 'भारत सरकार' द्वारा संचालित

पंचगव्य विभाग, सी यू शाह भवन, 78/79, रिथर्डन रोड, वैपरी, चेन्नै 600 007.

गुरुकुलम् : ग्राम-कट्टावाककम, पोस्ट-तेनेरी, जिला-कांचीपुरम, तमिलनाडु 631 604.

पंजिकरण प्रपत्र - 'मास्टर डिप्लोमा इन पंचगव्य' थेरेपी के लिए

नाम : , लिंग :

पिता/पति का नाम : , धर्म :

जन्मतिथि : राष्ट्रीयता :

भाषा ज्ञान : शिक्षा :

भारतीय चिकित्सा में अनुभव :

आवासीय प्रमाण पत्र में लिखा पता :

.....
मैं वचन देता/देती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण पूरी तरह से सत्य हैं।

दिनांक : ईमेल :

आवेदक का हस्ताक्षर मोबाइल नम्बर :

पंजिकरण के लिए आवश्यक प्रपत्र

- 1) अंतिम शिक्षा के अंक पत्र की तीन प्रतियां (स्वहस्ताक्षरित)
- 2) आवासीय प्रमाण पत्र की दो प्रतियां (स्वहस्ताक्षरित)
- 3) जन्म प्रमाण पत्र की दो प्रतियां (स्वहस्ताक्षरित)
- 4) 6 पासपोर्ट आकार और 6 स्टाम्प आकार के रंगीन चित्र
- 5) 2,300 रुपये का मांग पत्र 'पंचगव्य गुरुकुलम' के नाम जो चेन्नै में देय हो।

नोट : नामांकण प्रत्र नामांकण के समय गुरुकुलम या विस्तार में उपलब्ध कराया जाएगा।

इस फार्म को डाउनलोड करें, सही से भरें और उपरोक्त किसी भी पते पर केवल स्पीड पोस्ट से ही भेजें।

किसी भी कोरियर से भेजा गया फार्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पंजिकरण के बाद आपके मोबाइल पर जानकारी दी जाएगी।

नामांकण (एम.डी.पंचगव्य) के लिए कुछ जरुरी दिशा निर्देश

- 1) शाकाहारी होना जरुरी है।
- 2) यदि बिमार हों, तो पहले चिकित्सा कराएं बाद में नामांकण लें।

शपथ - पत्र

१. सभी तरह के यात्रा खर्च विद्यार्थियों को वहन करने होंगे।
२. ठहरने एवं सोने की व्यवस्था ग्रामीण एवं सामूहिक स्तर की रहेगी।
३. भोजन शुद्ध शाकाहारी एवं यथासंभव जैविक ही होगा।
४. पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर के दौरान मांसाहारी भोजन, डब्बाबंद/बाहरी भोजन, कोल्ड्रींक, सिगरेट, बीड़ी, शराब तथा किसी भी प्रकार का नशा कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।
५. पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर के दौरान मोबाइल, कैमरा, लेपटाप एवं अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना एवं उपयोग करना सख्त मना है।
६. सभी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर शुरू करने से पहले अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा करना अनिवार्य होगा।
७. किसी भी प्रकार के अस्वस्थ एवं रोगी व्यक्ति इस पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं।
८. पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर के दौरान कोई भी विद्यार्थी अपने किसी परिजन या बच्चों को साथ लेकर नहीं आ सकते हैं।
९. कृपया अपने साथ किसी भी तरह की कोई मुल्यवान वस्तु जैसे आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि नहीं लायें।
१०. विद्यार्थियों को गुरुकुल की दिनर्या का सख्ती से पालन करना होगा।
११. विद्यार्थियों को सामान्य एवं सात्त्विक भोजन उपलब्ध होगा।
१२. किसी भी तरह की चोट, दुर्घटना या मृत्यु होने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा एवं किसी भी तरह का बीमा या हर्जाना हमारी ओर से देय नहीं होगा।
१३. यदि कोई विद्यार्थी किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्य जैसे चोरी, मारपीट, महिला विद्यार्थियों के साथ छेड़खानी करते हुए पाया गया तो उसे तुरंत पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर से निष्कासित कर दिया जायेगा।
१४. पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण शिविर के दौरान केवल भारतीय परिधान ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी तरह के पश्चिमी परिधान जैसे जिंस, स्कर्ट आदि एवं छोटे वस्त्र प्रतिबंधित होंगे।
१५. दिनर्या- (क) ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्यक्रिया (ख) ६ से ८ पहली कक्षा (ग) ८ से ९ अल्पाहार में मोटे अनाज का काढ़ा (घ) द्वितीय कक्षा ९ से १२ (च) १२ से २ भोजन एवं विश्रांति (चावल, कड़ी या दाल, सबज़ी, आचार आदि (छ) त्रितीय कक्षा २ से ५ (ज) ५ से ७ सायं भोजन एवं विश्रांति (झ) चतुर्थ कक्षा ७ से ९ (रात्रि) एवं रात्रि विश्रांति ९.३० से ४.३० बजे तक।
१६. आवश्यक होने पर अपने किसी भी नियम एवं शर्त में बदलाव करने का अधिकार पंचगव्य गुरुकुल के पास सुरक्षित रहेगा।
१७. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र मदुरै रहेगा।

आवेदक के मातृभाषा में हस्ताक्षर

ईमेल :

मोबाइल :

दिनांक :